



टी बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार

14,बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता-700001

[www.teaboard.gov.in](http://www.teaboard.gov.in)

दिनांक:28.01.2026

**कार्यालय जापन सं 17/2026**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती सुमीता राय (आर-266),वरिष्ठ सहायक, टी बोर्ड डीटीआर व डीसी, कर्सियांग से संबद्ध,30.10.2026 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। टी बोर्ड उप-नियम, 1955 (यथा संशोधित) के उप-नियम 30 के अनुसार, एफआर 56(ए) के साथ पढ़ा जाता है, उन्हें 31.10.2026 के अपराह्न से बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाएगा।

श्रीमती राय अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, नियमों के तहत सभी प्रकार के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं जिसके वे हकदार हैं, जिसमें परिवर्तित/अर्धवेतन अवकाश भी शामिल है। तथापि,यदि वह भारत में बिताते हैं तो उन्हें एक बार में 300 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिनांक 25.09.2008 को जारी भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,कार्मिक और प्रशिक्षण के का.जा.संख्या 14028/3/2008-स्था(एल) के अनुसार यदि वह चाहे तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान भी किया जा सकता है(बशर्ते कुल अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश 300 दिनों से अधिक नहीं होगा)।

*अमृता*

(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)

सचिव (प्र)

**वितरण:**

|    |                                                                                 |                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | श्रीमती सुमीता राय (आर-266)<br>वरिष्ठ सहायक, टी बोर्ड, डीटीआर व डीसी, कर्सियांग |                                               |
| 2  | वि.स.एवं मु.ले.अ.                                                               |                                               |
| 3  | उनिचावि, सिलिगुडी                                                               |                                               |
| 4  | निदेशक (आर )                                                                    |                                               |
| 5  | परियोजना निदेशक, क्यूसीएल, सिलिगुडी                                             |                                               |
| 6  | लेखा अधिकारी (प्र) [जेएजी/एसजी]                                                 |                                               |
| 7  | अवकाश शाखा                                                                      |                                               |
| 8  | प्रभारी, पेंशन व पीएफ शाखा                                                      |                                               |
| 9  | आईटी कक्ष                                                                       | बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित |
| 10 | टीबीइए                                                                          |                                               |
| 11 | टी बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड, कोलकाता                                 |                                               |
| 11 | स्थापना शाखा                                                                    | अतिरिक्त प्रतियाँ सहित                        |

**संदर्भ. फाइल सं 21(1)/स्था/2020**